संख्या-169/2025/662पी/25-27-सिं0-4/001-59(डब्ल्यू)परि0/2024

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक:** 13 **मार्च,2026**

विषय: जनपद भदोही में गरौरा राजवाहा के कि0मी0 0.000 से 14.100 तक नहर के आन्तरिक एवं बाह्य भागों और पक्के कार्यों की पुनर्स्थापना तथा नहरी भूमि के सीमांकन की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-**1852/1565**/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक **21** नवम्बर, 2025 तथा शासनादेश संख्या-123/2024/29पी/24-27-सिं0-4/001-59(डब्ल्यू)परि0/2024, दिनांक 11.03.2024 द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के लेखाशीर्षक 4701-29-051-10-14-24 के अन्तर्गत **"जनपद गाजीपुर में जमानिया मुख्य नहर के कि0मी0 15.400 से कि0मी0 17.200, कि0मी0 23.000 से कि0मी0 25.000 के मध्य सी0सी0 इण्टर लाकिंग, पक्का डौला, पुलों के निर्माण एवं कि0मी0 15.400 से कि0मी0 17.200 तक सी0सी0 लाइनिंग के कार्य की परियोजना"** हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बचत की धनराशि रू0 63.52 लाख का बी0एम0-9(भाग-1) प्रपत्र संख्या- A027-20252026-662P-25-27-Si-4-59-W-Pari-2024, दिनांक **10** मार्च, 2026 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से पुनर्विनियोजित कर लेखाशीर्षक 4701-55-051-10-14-24 के अन्तर्गत **"जनपद भदोही में गरौरा राजवाहा के कि0मी0 0.000 से 14.100 तक नहर के आन्तरिक एवं बाह्य भागों और पक्के कार्यों की पुनर्स्थापना तथा नहरी भूमि के सीमांकन की परियोजना"** हेतु धनराशि रू0 63.52 लाख (रू0 तिरसठ लाख बावन हजार मात्र) परियोजना के कार्यों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि को व्यय करने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययियता सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा। प्रश्नगत परियोजना की शासनादेश संख्या-123/2024/29पी/24-27-सिं0-4/001-59(डब्ल्यू)परि0/2024, दिनांक 11.03.2024 द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(4) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(5) उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र एवं कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(6) उक्त परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं समय से पूर्ण कराया जाना सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **63,52,000 (** रुपये तिरेसठ लाख बावन हजार मात्र **)** को चालू वित्तीय वर्ष **2025-26** के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 094 लेखा शीर्षक 4701550511014** सम्बद्ध कार्य **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025,** दिनाँक- **27-मार्च, 2025** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-आर0ई बजट-**1-318-E-8-933-X-2025-26**-दिनांक:**16-02-2026** में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियन्ता (सोन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, भदोही, उ0प्र0।
8- अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11- नियोजन अनुभाग-3
12- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र
अनु सचिव,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।